

(4) विकलांगों को विवाह अनुदान।

### **MARRIAGE GRANT TO PERSONS WITH DISABILITIES**

<b>उद्देश्य</b>	शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को विकलांग व्यक्तियों के साथ विवाह के लिए प्रेरित करना।
<b>पात्रता</b>	40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त पुरुष/महिला से शादी करने वाले शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति अथवा आजीविका अर्जित करने योग्य अक्षम व्यक्ति।
<b>सहायता</b>	40 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति से विवाह करने पर 8000/- रु0 तथा 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति से विवाह करने पर 15000/-रु0 की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
<b>प्रक्रिया</b>	अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।
<b>सम्पर्क-अधिकारी</b>	जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।